



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2010/श्रावण 6, 1932

No. 8]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2010/SHRAVANA 6, 1932

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2010

का.नि.आ. 10(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 जुलाई, 2010 से गुवाहाटी में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

अरुन कुमार बल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2010

S.R.O. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Guwahati with effect from 31st day of July, 2010, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

ARUN KUMAR BAL, Jt. Secy.